प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर......थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर..... वर्ष 2023...
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या............213/2023, दिनांक......06-08-2023.................

2. (I) **अधिनियम**....धारायें:–7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(II) **अधिनियम** ....भा0दं0सं0.......................धारायें ....120बी.................................
(III) **अधिनियम** .... धारायें ....
(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** ....

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** ....105........ **समय** 8.15 A.M
(ब) **अपराध घटने का वार**.....शुकवार.....**दिनांक** 04.08.2023 **समय** 08.05 पीएम
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** 13.07.2023

4. **सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक**– लिखित

5. **घटनास्थल :–** म0न0 55ए, भैरवनगर हटवाडा रोड जयपुर
(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब** पश्चिम–दिशा में करीब 10 कि0मी0
(ब) पता **म0न0 55ए, भैरव नगर हटवाडा रोड जयपुर**
...............................बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना** ....जिला ......

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :–**

(अ) **नाम:–** .....श्री सुधांशु सिंह
(ब) **पिता/पति का नाम:–** श्री परमजीत सिंह
(स) **जन्म तिथी/वर्ष वर्ष**............उम्र 23 साल..................
(द) **राष्ट्रीयता:–** भारतीय
(य) **पासपोर्ट संख्या:– जारी होने की तिथि** ....**जारी होने की जगह** ....
(र) **व्यवसाय:–** प्राईवेट कार्य...........................
(ल) **पता:–** प्लॉट न0 13 संजय कॉलोनी, आरपीए के सामने जयपुर।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**

1– श्री सुशील कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामप्रसाद गुर्जर, उम्र– 43 साल, जाति–गुर्जर निवासी– म0न0 ए–3, आदर्श कॉलोनी, शान्ति नगर जयपुर हाल– पति श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम हैरिटेज जयपुर
2– श्री अनिल कुमार दूबे पुत्र स्व. सुदर्शन दूबे जाति– ब्राह्मण, उम्र– 45 साल, निवासी– एसडी–173, शान्ति नगर, हटवाडा रोड जयपुर हाल– निजी कर्मचारी कार्यकर्ता मेयर नगर निगम हैरिटेज जयपुर।
3– श्री नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री भवंर सिंह उम्र– 37 साल, जाति– राजपूत निवासी– म0न0 55ए, भैरवनगर हटवाडा रोड जयपुर हाल– वार्ड कार्यकर्ता मेयर श्रीमती मुनेश गुर्जर नगर निगम हैरिटेज जयपुर,
4– एवम् अन्य

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) –**
........................रिश्वती राशि 2,00,000/–रूपये...

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :–** रिश्वती राशि 2,00,000/–रूपये।

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–**

महोदय,

दिनांक 13.07.2023 को समय 11.30 एएम पर श्री बजरंग सिंह, अतिरिक्त पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक सज्जन कुमार को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया एवं उनके सामने बैठे व्यक्ति का नाम श्री सुधांशु सिंह होना बताते हुए श्री सुधांशु सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के निर्देश पृष्ठांकित कर मुझे सुपुर्द किया। इस प्रार्थना पत्र को प्राप्त कर श्री सुधांशु सिंह को साथ लेकर अपने कक्ष में आया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। श्री सुधांशु सिंह ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि– निवेदन है कि मैं सुधांशु S/O परमजीत सिंह, R/O प्लाट नम्बर 13, संजय कालोनी आरपीए के सामने जयपुर का रहने वाला हूं। मेरे परिचित ने नगर निगम हैरिटेज में पट्टा के लिए आवेदन कर रखा है, पट्टा के नहीं मीला पर उनके कहने पर मैं हैरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर व उसके पति सुशील गुर्जर से मिला तो दोनों ने पट्टा जारी करने के लिए लाखो रिश्वत की मांग की। रिश्वत नहीं देने पर पट्टा जारी करने से मना कर दिया। मैं व मेरा परिचित इन दोनों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहते है। इन दोनों को रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहते है। नियमानुसार कारवाई करे। परिवादी श्री सुधांशु सिंह से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम सुधांशु सिंह पुत्र परमजीत सिंह, उम्र 23 साल, जाति जटसिख, प्लाट नम्बर 13, संजय कालोनी आरपीए के सामने, जयपुर मोबाइल नम्बर–8441001019 होना बताये। परिवादी से प्रार्थना पत्र के संबंध में मजीद पूछताछ पर बताया कि "मैं नगर निगम हैरिटेज में लोगो के पट्टे दिलाने तथा अन्य काम पडने पर उनकी मदद करता हूं। पट्टा जारी कराने के लिए फाईल तैयार कर शीघ्र पट्टा दिलाने के लिए मेरे से सम्पर्क करने पर मैं उनकी फाईले तैयार कर लगाता हूं तथा लाईजनिंग का काम करता हूं। इसके एवज में पट्टा आवेदकों द्वारा मुझे खर्चे/फीस के रूप में कुछ राशि देते है जिनसे मेरी आजीविका भी चलती है। मैं लोंगो के पट्टों के लिए मेयर मैडम एवं उनके पति से मिलता रहता हूं। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे परिचित श्री राजीव शर्मा पुत्र उमेश शास्त्री, निवासी 51 बी भगत वाटिका, सिविल लाईन्स जयपुर के निवासी है तथा उन्होंने उक्त प्लाट सी–94, चरला भवन, शास्त्री नगर जयपुर का पट्टा लेने के लिए नगर निगम हैरिटेज में दिनांक 22.03.2021 को फाईल लगायी थी, लेकिन कई बार चक्कर काटने के बाद में उनको प्लाट का पट्टा नहीं मिला। श्री राजीव शर्मा ने यह बात मुझे बतायी तथा मुझे कहा कि पट्टे के लिए आप मेयर मैडम मुनेश जी से मिलो। इस पर मैंने परिचित के कहने पर मैं मुनेश गुर्जर, मेयर मैडम से मिलने उनके घर पर गया तो उन्होंने एवं उनके पति श्री सुशील गुर्जर ने मेरे परिचित श्री राजीव शर्मा साहब का पट्टा जारी करने के एवज में 2.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग की तथा 2.00 लाख रूपये नहीं देने पर पट्टा जारी करने से मना कर दिया। परिवादी ने पूछताछ पर यह भी बताया कि मेरे परिचित श्री राजीव शर्मा के अलावा श्री दिलीप सिंह राठौड़, निवासी सी–9, शास्त्री नगर, जयपुर व अन्य जानकार चार–पांच लोंगो की पट्टो की फाईले भी नगर निगम में लगा रखी है तथा इन सभी के पट्टे जारी करने की एवज में भी रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। मेयर मुनेश गुर्जर एंव उनके पति सुशील गुर्जर द्वारा मेरे परिचित लोंगो के पट्टो पर मेयर के साईन कर जारी करने एवं अन्य आम लोंगो से भी पट्टे जारी करने की एवज में उनके निजी कर्मचारी/दलाल श्री अनिल एवं नारायण के माध्यम से रिश्वत राशि लेने के बाद मेयर पति सुशील गुर्जर मेयर के हस्ताक्षर करवाकर पट्टा देता है। मेयर साहब सभी पट्टो की फाईले अपने घर मंगवाकर रखती है तथा उनके पति द्वारा पट्टा जारी करने के एवज में उक्त दलालों के माध्यम से लाखों रूपयों की राशि बतौर रिश्वत प्राप्त करने के बाद ही मेयर साहब से साईन करवाकर पट्टा देते है। परिवादी ने पूछताछ पर यह भी बताया कि मुझे कई लोंगो के पट्टे जारी करवाने है तथा मेयर मैडम किसी से नहीं मिलती है एवं ना ही सीधे बात करती है, उनके पति सुशील गुर्जर ही विश्वसनीय लोंगो या विश्वास होने पर ही अपनी पत्नी मेयर मुनेश गुर्जर से मिलवाता है अन्यथा खुद ही बात करके रिश्वती राशि तय करके अपने दलालों के माध्यम से राशि प्राप्त करने के बाद मेयर से पट्टा पर साईन करवाकर दे देता है। चूंकि मेरे परिचित करीब 4–5 लोंगो के पट्टे जारी करवाने है तथा मुझे मेयर का विश्वास जीतने के लिए रिश्वती राशि की मांग की बातचीत के दौरान कुछ रूपये उनके पति या उनके दलालों के माध्यम से उनको पहुंचाने पडेंगे ताकि वो मेरे उपर विश्वास करके खुलकर बात कर ले। मेयर मैडम मुनेश गुर्जर अपने पति सुशील गुर्जर के साथ मिलकर अपने विश्वसनीय कर्मचारी /दलाल अनिल एवं नारायण के माध्यम से लोंगो से लाखों रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करके पट्टे जारी कर रहे हैं। पट्टों से संबंधित काम मेरा नहीं है। मैं पट्टा आवेदकों से बतौर फीस कुछ पैसे लेता हूं तथा पट्टा जारी कराने की कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी/मेयर/कर्मचारियों से मिलकर शीघ्र काम कराने के लिए पट्टा आवेदकों ने मौखिक/लिखित रूप से मुझे अधिकृत कर रखा है। इस संबंध में श्री दिलीप सिंह राठौड़ ने मुझे लिखित अधिकार पत्र दे रखा है। उक्त अधिकार पत्र एवं

परिचय के रूप में उनके ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति आपको पेश कर रहा हूँ। मेरे परिचित श्री राजीव शर्मा, श्री दिलीप सिंह राठौड़, निवासी सी–94बी, श्याम मार्ग, शास्त्री नगर, जयपुर एवं अन्य चार–पांच के लोंगो के पट्टे जारी करने के एवज में मेयर श्रीमती मुनेश गुर्जर, उनके पति सुशील गुर्जर द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त प्रार्थना पत्र मैंने स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर एवं मेरे हस्ताक्षर करके पेश किया है। मेरी मुनेश गुर्जर मेयर मैडम व उनके पति से कोई आपसी रंजिश नहीं है तथा ना ही हमारे बीच को उधार का लेन देन बकाया है। परिवादी श्री सुधांशु सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। जिसका ट्रैप कार्यवाही से पूर्व रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है।

दिनांक 13.07.2023 को श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री सुधांशु सिंह से करवाते हुए उसकी शिकायत से अवगत कराया। इसके बाद कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर मेमोरी कार्ड का खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर में लगाया तथा परिवादी श्री सुधांशु सिंह को डीवीआर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाईश कर डीवीआर सुपुर्द किया। परिवादी को समझाया कि आप संदिग्ध श्रीमती मुनेश गुर्जर, महापौर एवं उनके पति श्री सुशील गुर्जर से मिलकर अपने परिचित के प्लाट का पट्टा जारी करने के संबंध में बातचीत कर उनके द्वारा रिश्वत राशि मांगने की वार्तालाप को रिकॉर्ड करे। इसके बाद श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 को आवश्यक समझाईश कर परिवादी श्री सुधांशु सिंह के साथ रिश्वती राशि मांग के गोपनीय सत्यापन के लिए रवाना किया। बाद सत्यापन श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 ने कार्यालय में उपस्थित होकर डीवीआर मन निरीक्षक पुलिस को पेश करते हुए बताया कि परिवादी ने बाद सत्यापन डीवीआर मुझे देते हुए कहा कि मैं मेयर साहब के पति श्री सुशील गुर्जर जी घर पर मिले थे, जिनसे मैंने परिचित के प्लाट के पट्टे के बारे में तथा मेयर साब के साईन करवाने के संबंध में बातचीत हुई है। मेयर के पति ने कहा कि मैं पहले फाईल देखूंगा उसके बाद बात करूंगा। उक्त बातचीत को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद परिवादी ने कहा कि मेरा घर पास ही है आप डीवीआर ले जाओ। इस पर मैंने परिवादी से प्राप्त डीवीआर लेकर आ गया। श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 द्वारा प्रस्तुत डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुनने पर श्री देवेन्द्र सिंह के कथनों की पुष्टि हुई। डीवीआर को सुरक्षित आलमारी में रखा। इसी प्रकार दिनांक 16.07.2023 को श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 को परिवादी के साथ जाकर पुनः सत्यापन करवाए जाने पर बाद परिवादी ने बताया कि मैंने अंदर जाकर मेयर साहब के पति सुशील गुर्जर से परिचित के पट्टे के बारे में बात की तो उन्होंने पट्टे पर हस्ताक्षर करवाने के एवज में 1.00 लाख रूपये रिश्वत के मांग कर 50 हजार रूपये आज ही लेकर मंगवाये है। श्री सुशील गुर्जर ने जो रिश्वत की राशि मेरे से मांग कर 50 हजार मंगवाई है वो स्वयं प्राप्त नहीं कर अपने किसी दलाल को दिलवा सकता है इसलिए उसका विश्वास जीतने के लिए तथा नगर निगम में मेयर मुनेश गुर्जर व उसके पति सुशील गुर्जर द्वारा अपने कई दलालों के माध्यम से किये जा रहे भ्रष्टाचार के खुलासे एवं इनको एक साथ रिश्वत लेते पकडवाने के लिए मुझे 50 हजार रूपये उसके कहे अनुसार आज ही देने पड़ेंगे। मेरे से रूपयों की व्यवस्था हो जायेगी तो मैं एक बार पुनः सुशील गुर्जर जी से मिलने जाउंगा। आदि तथ्यों से उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया परिवादी की उक्त वार्ता से संदिग्ध मेयर पति द्वारा रिश्वती राशि 1.00लाख रूपये की मांग कर 50 हजार रूपये पहुंचाने के लिए कहा जाना अवगत कराया। इसलिए पुनः दिनांक 16.07.23 को ही परिवादी द्वारा रूपयो की व्यवस्था कर श्री सुशील गुर्जर से मिलने भेजा लेकिन संदिग्ध के घर पर नहीं मिलने से वार्ता नहीं हो पायी। इसके बाद दिनांक 17.07.23 को परिवादी श्री सुधांशु सिंह ने मुझे अपने मोबाइल नम्बर 8441001019 से वाट्सअप कॉल कर बताया कि मेयर मैडम के पति ने मुझे पैसे लेकर आने के लिए कहा है, मैं आज उनसे मिलकर पट्टे के बारे में ओर बात करूंगा, आप श्री देवेन्द्र सिंह जी को पेनड्राईवनुमा रिकॉर्डर देकर सीधे ही मेरे पास भेज देना, मैं उनसे डीवीआर प्राप्त कर मेयर पति के पास जाकर बात कर लूंगा। जिसपर पुनः श्री देवेन्द्र सिंह को वास्ते सत्यापन मय डीवीआर व पैनड्राइवनुमा रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड के रवाना किया। बाद सत्यापन परिवादी श्री सुधांशु सिंह ने मुझे अपने मोबाइल नम्बर 8441001019 से वाट्सअप कॉल कर बताया कि मैंने श्री देवेन्द्र जी से सम्पर्क कर उनसे पेनड्राईवनुमा रिकॉर्डर लेकर मेयर मैडम एवं उनके पति से मिलने के लिए उनके घर में गया तथा पेनड्राईवनुमा रिकॉर्डर ऑन कर लिया। मुझे वहां पर श्री सुशील गुर्जर मेयर पति मिले जिन्होंने पूर्व में तयशुदा राशि 50हजार रूपये लेकर बुलाया था। इसलिए मैं अपने साथ 50 हजार रूपये लेकर गया तथा जो श्री सुशील गुर्जर मेयर पति के कहने पर वहां मौजूद अपने कर्मचारी/दलाल श्री अनिल को दिलवा दिये। मैंने पचास हजार रूपये देने के बाद मेरे परिचित का पट्टा मांगा तो कहा कि अभी साईन नहीं हुए है, शाम को में ले जाना। मैंने यह 50 हजार रूपये देने से पहले ही इसके नोटो में से कुछ नोटों की अपने मोबाइल में फोटो खींच लिये थे, जो मोबाइल में सुरक्षित है। मैं उक्त फोटो बाद में आपको मोबाइल में से लेकर पेश कर दूंगा। श्री

सुशील गुर्जर ने मुझे पट्टा शाम को लेने के लिए कहा है इसलिए मैं पुनः सायंकाल में उनसे मिलूंगा। इस पर परिवादी को समझाईश की, कि आप शाम को मिलकर उनसे पट्टे के बारे में बातचीत कर वस्तुस्थिति से अवगत करावें। श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 से जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर परिवादी के साथ रहकर होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड कराने की समझाईश की गई। दिनांक 17.07.23 को परिवादी ने मुझे वाट्सअप कॉल कर बताया कि आज अभी शाम को मैं पुनः सुशील गुर्जर से मिला तो उन्होंने पट्टा सुबह लेने के लिए कहा है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि इसी बातचीत में मेरे किसी अन्य परिचित का पट्टा भी जारी होने के लिए फाईल लगाने तथा पट्टे के संबंध में बातचीत करने के लिए कहा था इसलिए मैंने अपने अन्य परिचित के पट्टे के बारे में भी बात की, तो सुशील जी ने कहा कि पहले फाईल देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। परिवादी ने यह भी बताया कि अब मुझे सुशील जी ने कल या परसो आने के लिए कहा है इसलिए मैं जब भी परिचित के पट्टे एवं मेरे अन्य परिचितों के पट्टो के लिए बातचीत करने जाउंगा तब आपको मोबाइल से सूचित कर दूंगा। इसके बाद दिनांक 19.7.23 को पुनः सत्यापन कराये जाने पर परिवादी को उसका पट्टा दे दिया गया एवं मेयर के घर पर अत्यधिक भीड़ होने से बातचीत नहीं हो सकी। दिनांक 23.07.23 को परिवादी को पुनः डीवीआर देकर भेजे जाने पर मेयर के घर पर श्री सुशील कुमार नहीं मिले एवं उनका निजी कर्मचारी श्री अनिल मिला जिससे वार्ता होने पर परिवादी को कहा कि तुम्हारे नये पट्टे की फाईल जिस पर मेयर मैडम के साईन करवाने है, आज हमारे पास आ गयी है, मैं फाईल को देख लेता हूं तथा मैडम और सुशील जी सर से बात कर लेता हूं। आप कल सुबह आ जाना फिर बात करेंगे। दिनांक 24.07.2023 को परिवादी के पुनः मेयर के घर जाकर वार्ता की गई। बात वार्ता परिवादी ने जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया कि मैंने वहां पर नारायण जी से मिल कर मेरे नये पट्टे की फाईल के बारे में बातचीत की तो उसने कहा कि इस फाईल को अनिल डील कर रहा है, इसके पट्टे के लिए आप अनिल से ही मिलो या फिर सीधे सुशील जी से बात करो। सुशील जी पट्टो की फाईले मुझे व अनिल जी को बांट देते है, जिनमें जिसको फाईल मिलती है वो ही डील करता है तथा लेन देन की बात भी वही करता है। इसलिए आप अनिल जी से मिलो। इसके बाद मैंने बाहर आकर डीवीआर बंद कर देवेन्द्रसिंह जी को दे दिया था। इसके अलावा परिवादी ने मोबाइल वार्ता के दौरान यह भी अवगत कराया कि ''मैंने मेरे पट्टे से संबंधित फाईल की ''पीडीएफ फाईल'' बनाकर अनिल जी को भेजी थी जिसके बारे में आज ही मुझे मोबाइल पर मेरे पट्टे के लिए वाट्सअप पर मैसेज भेजकर ''2'' लिख कर दिया जिसमें 2.00लाख रूपये लेने का इशारा किया, जिस पर मैं भी ''दो क्या सर'' लिखा था। इसके बाद मैंने वाट्सअप पर काल करके अनिल जी से बात की थी जिस पर उन्होंने प्लाट नम्बर एच–37, टैगोर पथ, बनीपार्क जयपुर के पट्टे के एवज में 2.00 लाख रूपये बतौर रिश्वत की मांग की थी तथा यह भी कहा है कि मैं सुशील जी से बात कर लूंगा और फिर बैठकर अपन बात कर लेंगे, आप कल पैसे ले आना और पट्टा फाईल ले जाना। दिनांक 25.07.2023 को संदिग्धगणों से पुनः वार्ता करवायी गई, वार्ता उपरांत परिवादी ने जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया कि परिवादी श्री सुधांशु सिंह ने मुझे अपने मोबाइल नम्बर 8441001019 से वाट्सअप कॉल कर बताया कि मैंने देवेन्द्र सिंह जी से सम्पर्क कर उनको साथ लेकर आज मेयर साहब के घर गया था जहां देवेन्द्र जी को घर के बाहर छोड कर मैं घर के अंदर चला गया जहां पर मेरे एक घंटे बात करने के बाद सुशील गुर्जर एवं अनिल जी आये जिनमें मैंने मेरे पट्टों से सम्बन्धित बातचीत की। इस पर अनिल जी ने मेरे से प्लाट नम्बर एच–37 टैगोरपथ, बनीपार्क, जयपुर के पट्टे के पेटे 1.00लाख रूपये ले लिये। इसके बाद अनिल ने कहा कि डेढ लाख में बात हुई थी, 50,000/–रू0 ओर दो। इस पर मैंने कहा कि मेरे पास तो इतने ही है। यह राशि लेते समय सुशील जी भी वहीं पर मौजूद थे, जिन्होंने सहमति दी थी। मैंने अनिल जी को पैसे गिनने के लिए कहा तो अनिल जी ने कहा कि मैं गिन लूंगा और कम पड़ गये तो मैं पट्टा वापस मंगा लूंगा। आज मैंने जो एक लाख रूपये पट्टे के एवज में दिए थे, उनमें से कुछ नोटों की फोटो पहले ही अपने मोबाइल में खींच ली थी, जो मोबाइल में सुरक्षित है तथा आईन्दा आपके पास उपस्थित होने पर इनकी स्क्रीनशॉट लेकर आपको पेश कर दूंगा। परिवादी श्री सुधांशु सिंह ने बातचीत के दौरान यह भी अवगत कराया है कि मैंने कुछ देर बाद पुनः सुशील गुर्जर मेयरपति से मिला तथा नगर निगम हैरिटेज में कुछ सिविल ठेकेदारों के बिलों का भुगतान कराने संबंधी बातचीत भी की थी जिस पर सुशील जी ने कहा कि सी.ओ. सहित कुल 3 प्रतिशत कमीशन बतौर रिश्वत मांग की। इसके बाद मैं घर से बाहर आ गया। परिवादी ने यह भी बताया कि आज रात 8 बजे श्री नारायण जी ने मुझे अन्य पट्टे के संबंध में बात करने बुलाया है, इसलिए आप श्री देवेन्द्र सिंह जी को कहे कि वो मेरे साथ रहे, जिससे में नारायण से होने वाली बातचीत को डीवीआर में रिकॉर्ड कर संकू। दिनांक 25.07.23 को ही पुनः वार्ता होने के बाद श्री देवेन्द्र सिंह ने बताया कि मैंने परिवादी को डीवीआर में पूर्व में लगा मेमोरी कार्ड निकाल कर उसमें नया खाली मेमोरी कार्ड लगाकर चालू कर होटल में चला गया। करीब दो–ढाई घंटे बाद परिवादी बाहर आया है तथा डीवीआर बंद करके मुझे देते हुए बताया कि मैं अभी होटल में

नारायण से मिला जहां उसके साथ उसका दोस्त भी था। श्री नारायण जी ने पहले तो मेयर श्रीमती मुनेश गुर्जर एवं उनके पति सुशील गुर्जर से अपनी नजदीकीयों एवं विश्वासपात्र होने के बारे में बातचीत की तथा बातचीत के दौरान ही पूर्व में मेयर एवं उनके पति के कहने पर नगर निगम हेरिटेज में ठेकेदारो के बिल पास करने तथा पट्टो में मेयर के लिए रिश्वत राशि लेने संबंधी बातचीत की तथा मेरे पट्टे जारी करने के बारें में बातचीत हुई है। इसी प्रकार दिनांक 28.07.2023 को पुनः परिवादी एवं संदिग्ध श्री सुशील गुर्जर के मध्य बात हुई। जिसमें परिवादी ने बताया कि मैं मेयर साहब के घर के अंदर गया वहां सुशील गुर्जर जी मिले जिनसे पट्टों के बारे मे बात करने पर श्री सुशील गुर्जर मेयर पति ने कहा कि "तू अनिल से बात कर लिया कर, जो अनिल ने कह दिया वो मैंने कहा दिया समझ लो।" उक्त बातचीत को डीवीआर में रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद परिवादी से डीवीआर लेकर मैं कार्यालय आ गया।

इसके बाद दिनाक 03.08.2023 को परिवादी श्री सुधांशु सिंह ने मुझे अपने मोबाइल नम्बर 8441001019 से वाट्सअप कॉल कर बताया कि अब मैं सुशील गुर्जर मेयर पति से मिलकर मेरे शेष रहे तीन पट्टो के बारें में बातचीत करने के लिए बुलाया है। इस पर पुनः श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 को डीवीआर देकर परिवादी से सम्पर्क कर वार्ता करवाये जाने हेतु भेजा गया। बाद वार्ता परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 कार्यालय में उपस्थित आये एवं परिवादी डीवीआर मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुए बताया कि आपसे हुई बातचीत के बाद देवेन्द्र सिंह जी ने मेरे से सम्पर्क कर मेयर के घर के बाहर डीवीआर मुझे दे दिया था एवं खुद बाहर ही रूक गये थे। मैंने डीवीआर चालू करके अंदर चला गया। मुझे घर पर श्री सुशील गुर्जर जी मेयर पति एवं श्री नारायण मौजूद मिले, जिनसे मिलकर मैंने सुशील जी से कहा कि सर मेरे तीन पट्टों की फाईले आयी हुई है, उनपर मेयर साहब से साईन करवाने है। इस पर श्री सुशील जी ने कहा कि प्लाट किस साईज के है। इस पर मैंने तीनों प्लाटों की साईज सुशील जी को बतायी तो उन्होंने तीनों के पट्टो पर मेयर मैडम के साईन करवाने के एवज में 2.00 लाख रूपये की मांग की तथा कहा कि तीनों फाईले नारायण को नोट करवा दे, इन फाईलों का काम यही देखेगा। मैंने उक्त बातचीत को डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद हम दोनों वहा से कार्यालय आ गये। डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ता को सुनने पर परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। आईन्दा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। डीवीआर सुरक्षित आलमारी में रखा। परिवादी श्री सुधांशु सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में दो बार में 1.50 लाख रूपये बतौर रिश्वत दिए जा चुके है उनमें से कुछ नोटों के नम्बरों की मैंने फोटो खींच कर मोबाइल में सुरक्षित रख रखी है। इसके अलावा अनिल जी से वाट्सअप मैसेज प्राप्त हुए वे भी सुरक्षित है, इन सभी के स्क्रीनशॉट लेकर प्रिन्ट प्राप्त कर मैं आपको कल प्रस्तुत कर दूंगा। परिवादी को अग्रिम कार्यवाही के लिए पूछने पर बताया कि आज मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नहीं है, मैं कल तक रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2.00 लाख रूपयों की व्यवस्था करके कार्यालय में आपके पास आ जाउंगा। रिश्वती राशि सुशील जी के कहेनुसार नारायण दलाल ही लेगा। परिवादी ने पूछने पर कहा कि मैं लोंगो के पट्टो की फाईले तैयार करके उनके कागजात की पूर्ति करवाकर अपनी लाईजनिंग के हिसाब से अधिकारियों से काम करवाता हूं जिसके बतौर फीस पट्टा आवेदक मुझे पैसे देते है। इस काम के लिए पट्टा आवेदकों ने मुझे मौखिक एवं श्री दिलीप सिंह राठौड़ ने मुझे लिखित सहमति दे रखी है, जो मैंने प्रार्थना पत्र के साथ आपको पेश कर दी थी। परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाए रखने की समझाईश की गई एवं रूकसत किया। परिवादी से हुई उक्त बातचीत एवं अब तक हुई सत्यापन पाया गया है कि से श्रीमती मुनेश गुर्जर, महापौर, नगर निगम हैरिटेज द्वारा नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले एरिया में संबंधित प्लाटों के पट्टे जारी करने के लिए पट्टों की फाईलों को अपने घर पर मंगवाकर उनके पति श्री सुशील गुर्जर के साथ मिलकर उनके निजी कर्मचारी/दलालों श्री नारायण एवं श्री अनिल के माध्यम से पट्टा आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों से प्रत्येक पट्टा जारी करने के एवज में रिश्वती राशि की मांग की जाकर रिश्वत राशि प्राप्त करने के उपरांत श्री सुशील गुर्जर के कहने पर पट्टे पर हस्ताक्षर करके अपने घर से संबंधित को दिये जा रहें है। इसी क्रम में उपरोक्त सत्यापन के दौरान परिवादी श्री सुधांशु सिंह से दो पट्टो के एवज में दो बार में 50,000/—रू0 एवं 1.00लाख रूप्ये कुल 1.50लाख रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जा चुके है तथा आज दिनांक 03.08.2023 को संदिग्ध मेयर श्रीमती मुनेश गुर्जर के पति श्री सुशील गुर्जर द्वारा परिवादी श्री सुधांशु सिंह से उसके द्वारा आवेदित तीन फाईलों में पट्टे जारी करने के एवज में बातचीत कर 2.00लाख रूपये बतौर रिश्वत लेना तय करते हुए फाईले दलाल श्री नारायण को नोट कराने तथा उक्त फाईलों का काम नारायण द्वारा देखने की वार्तालाप किये जाने की पुष्टि हुई। संदिग्ध मेयर पति द्वारा स्वयं एवं अपनी पत्नी के लिए दलालों के मार्फत परिवादी से संबंधित पट्टे जारी करने के एवज में 2.00लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग किये जाने की सम्पुष्टि होती है। क्योंकि दिनांक 25.07.2023 को मेयर पति श्री सुशील गुर्जर द्वारा परिवादी के कहने पर मेयर श्रीमती मुनेश गुर्जर से मिलवाने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया जा चुका है। अतः अब परिवादी को मेयर श्रीमती मुनेश गुर्जर से मिलकर बात

करवाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है, आदि समस्त हालात उच्चाधिकारियों से निवेदन किये गये। जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा मांग के आधार पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से दो तहरीर देकर कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, जयपुर से श्री रामकेश मीना, कनिष्ठ सहायक एवं संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यक कर, वृत–डी, संभाग तृतीय, जयपुर से श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ सहायक को दिनांक 04.08.2023 को कार्यालय समय पर उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया।

दिनांक 04.08.2023 को दोनों तलबीदा गवाहान एवं परिवादी श्री सुधांशु सिंह कार्यालय में उपस्थित हुआ। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरी कल सुशील जी गुर्जर मेयर पति से मेरे पट्टो की फाईलों पर मेयर साहब के हस्ताक्षर करवाने की एवज में मागीं गई रिश्वती राशि 02 लाख रुपयों की व्यवस्था करके ले आया हुँ, साथ ही मेरे द्वारा पूर्व में श्री अनिल दुबे दलाल के मार्फत सुशील जी को दी गई रिश्वती राशि 1,50,000 के नोटो मे से कुछ नोटो की फोटो व अनिल जी से मोबाईल पर हुई व्हाट्सअप चैट के स्क्रीनशॉट का मेरे मोबाईल से प्रिन्ट लिया जो मैं आपको पेश कर रहा हुँ। इसके बाद दोनो गवाहान को तलब कर उनका परिवादी से परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी एवम् सदिंग्ध मेयर पति सुशील गुर्जर, दलाल श्री अनिल दुबे, श्री नारायण सिंह के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के बारे मे अवगत कराया एवम् पूर्व मे दी गई रिश्वत राशि एवम् चैटिंग से सम्बन्धित स्क्रीनशॉट के प्रिन्ट का दोनो गवाहान को अवलोकन करवाया गया। दोनो गवाहान ने परिवादी श्री सुधांशु सिंह से बातचीत कर उसकी शिकायत से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छापूर्वक ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई। दिनांक 04.08.2023 को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री सुधांशु सिंह से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपीगण श्रीमती मुनेश गुर्जर, उनके पति सुशील गुर्जर एवं अन्य को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री सुधांशु सिंह ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 2,00,000/–रूपये (भारतीय प्रचलित मुद्रा) के पांच–पांच सौ रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये) निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले भारतीय प्रचलित मुद्रा के नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी पर अकिंत किया गया। उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार सही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त रिश्वत राशि पांच–पांच सौ रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000/–रूपये के नोटों पर श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री मुकेश कुमार,कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री सुधांशु सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन व गाड़ी की चाबी के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि पांच–पांच सौ रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000/–रूपये संदिग्ध अधिकारीगण/ कर्मचारी को देने हेतु कागज की काले रंग की एक थैली जिसपर **AND girl** लिखा हुआ है, में रखकर उक्त थैली पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उक्त थैली को परिवादी की कार के आगे डेसबोर्ड में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगा जब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् पुलिस निरक्षक के मोबाइल नम्बर 8949705614 पर मिसकॉल/फोन कर तथा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 के हाथों क अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जायेगा और इस

प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट किया गया तथा श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैपबॉक्स में रखी खाली शीशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपने शर्ट के उपर के जेब में रखे आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। परिवादी को संदिग्ध अधिकारी व उसके मध्य रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाल वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर रिश्वत मांग सत्यापन के वक्त काम में लिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को बाहर निकालकर सुपुर्द किया गया तथा श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवम् सुपुर्दगी नोट एवम् डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 4.25पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराह स्टाफ श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 334, श्री मनीष कानि0 486, श्री कमलेश कानि0 293, श्री पन्नालाल कानि0 09, श्री हिम्मत सिंह कानि0 560, श्री विनोद कानि0 242, श्री रमजान कानि0 466, श्री हिमांशु कानिष्ठ सहायक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी मय ट्रेपबाक्स, लेपटॉप प्रिन्टर इत्यादि साजोसामान के मय वाहन सरकारी मिनीबस एवं परिवादी की बोलेरो वाहन के एसीबी कार्यालय से रवाना हुआ। बोलेरो गाडी में परिवादी व उसके साथ श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक व श्री देवेन्द्र एवं गवाह श्री मुकेश कुमार के आगे आगे रवाना कर उसके पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाब्ता व एक स्वतंत्र गवाह के रवाना हुआ तथा कार्यवाही के पर्यवेक्षण के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री ललित किशोर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम, श्री बलराम सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम एवं श्री बिशनाराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम के गोपनीय ट्रैप कार्यवाही के लिये रवाना होकर ईसीएस डिस्पेन्सरी न0 4 के पास पहुचंकर वाहनों को रूकवाकर परिवादी श्री सुधांशु सिंह को अपने पास बुलाकर उसे आवश्यक समझाईस कर आरोपीगण से सम्पर्क कर रिश्वत राशि देने के लिए श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 से डीवीआर चालू करवाकर रवाना किया। उसके पीछे–पीछे श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के एक–एक कर पैदल चलते हुए श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम हैरिटेज जयपुर के निवास स्थान ए–3, आदर्श कॉलोनी, हटवाडा रोड जयपुर के आसपास पहुचंकर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के मुकर्रर ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए। कुछ समय बाद श्री देवेन्द्र कानि0 ने मन् पुलिस निरीक्षक को वाटसएप कॉल कर बताया कि परिवादी मेयर के घर से बाहर आ गया है तथा डीवीआर बन्द करके मुझे देते हुए बताया कि अभी घर पर कोई नहीं हैं। इस पर श्री देवेन्द्र सिंह को कहा कि आप मेयर के घर के आसपास ही परिवादी के साथ संदिग्ध मेयर पति, दलाल नारायण सिंह के आने का इन्तजार करे तथा आने पर पुनः परिवादी को उनसे सम्पर्क कर रिश्वती राशि देने के लिए परिवादी को रवाना कर मुझे बताये। समय करीब 6.55 पी.एम. पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 ने वाट्सएप कॉल कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी अभी सुशील गुर्जर मेयर पति ने कार से उतरकर घर के अन्दर प्रवेश किया हैं। इस पर श्री देवेन्द्र सिंह को कहा कि आप डीवीआर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर उसे समझाईस कर मेयर के घर में रिश्वती राशि देने हेतु रवाना करें। मन् पुलिस निरीक्षक ने शेष जाब्ता को अलर्ट करते हुए परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए। समय करीब 7.15पीएम पर परिवादी मेयर के निवास से बाहर निकलकर हटवाडा रोड पर बने कट के पास मोबाईल फोन पर वार्ता करता हुआ आता हुआ दिखायी दिया, जिससे मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल फोन कर सम्पर्क किया तो परिवादी ने कहा कि सर अभी अभी कुछ देर पहले मैं मेयर साहब के निवास पर गया था जंहा सुशील जी मुझे मिले थे मैनें उनसे पट्टो की बात की तो उन्हौनें कहा कि नारायण से मिल लो। यह कहते हुए सुशील जी सरकारी इनोवा गाडी में अनिल दुबे जी के साथ घर से बाहर निकल गये और मैं मेयर साहब के घर पर ही रूका रहा तभी थोडी देर बाद में नारायण सिंह अपने आप ही मेयर साहब के घर आ गया, जिससे मैनें पट्टो के बारे में बात की तो नारायण सिंह ने कहा कि आपको मेयर साहब के घर आने के लिए मना किया था ना आप यंहा क्यों आये तथा नारायण सिंह के मांगने पर मैनें रिश्वती राशि 2,00,000 रूपये जो काले रंग की कागज की थैली जिस

पर AND girl लिखा हुआ हैं, नारायण सिंह को दे दी तथा नारायण सिंह ने अपने दोनो हाथों से थैली को पकडते हुए पूछा कि दो है क्या? तब मैनें कहां हां पूरे दो हैं। इसके बाद नारायण सिंह रिश्वती राशि दो लाख रूपये थैली सहित लेकर मेयर साहब के घर के बाहर आया और सुजुकी कम्पनी की सफेद कलर की स्कुटी की सीट के नीचे की डिग्गी में रिश्वती राशि रखकर स्कुटी लेकर रवाना हो गया। इस पर मैनें श्री देवेन्द्र सिंह को फोन करके बताया तथा इसके बाद में मैं आपको ही फोन कर रहा था कि आपका फोन मेरे पास आ गया। परिवादी द्वारा रिश्वती राशि श्री नारायण सिंह द्वारा लेकर स्कूटी से निकल जाने की जानकारी पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराही जाब्ता में से श्री हिमांशु शर्मा कनिष्ठ सहायक एवं श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक तथा स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश को उक्त सफेद स्कूटी का पीछा एवं निगरानी करने की हिदायत करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी से डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा व हमराही जाब्ता में से श्री रमजान कानि0 को श्री सुशील गुर्जर के उक्त मकान की निगरानी हेतु मामुर किया। समस्त हालात श्री ललित किशोर जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अर्ज किये एवं श्री नारायण सिंह का पीछा करने के लिए गये हुए श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क किया तो श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक ने बताया कि श्री नारायण सिंह स्कूटी लेकर भैरव नगर की ओर गलियों में गया हैं जिसका पीछा कर रहे है लेकिन गलियों में स्कूटी औझल हो गई है, लेकिन भैरव नगर में प्लाट न0 27 के सामने सडक पर साईड में वही सफेद रंग की इनोवा गाडी खडी है, जो मेयर के घर के सामने से निकलकर थोडी देर पहले गई थी, जिसके नम्बर आरजे 14 यूएच 2775 हैं तथा इस गाडी के बारे में मालूमात करने पर पता लगा हैं कि श्रीमती मुनेश गुर्जर नगर निगम हैरिटेज मेयर साहब की गाडी हैं जिसमें थोडी देर पहले उनके पति श्री सुशील गुर्जर आये थे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराही जाब्ता में से श्री कमलेश कानि एवं श्री पन्नालाल कानि0 को उक्त गाडी एवं मेयर पति की निगरानी हेतु प्लाट न0 27 भैरव नगर के पास भिजवाया। थोडी देर बाद श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक ने बताया कि श्री कमलेश कानि एवं श्री पन्नालाल कानि0 प्लाट नं. 27 भेरव नगर के पास में आ गये है जिनको निगरानी में मामूर कर दिया है तथा मालूमात करने पर पता चला है कि नारायण सिंह प्लाट न0 55–ए, भैरव नगर हटवाडा रोड जयपुर में रहता हैं तथा श्रीमती मुनेश गुर्जर पार्षद के वार्ड के संबंध में कामकाज सम्भालता हैं। इस पर हालात उच्चाधिकारियों को अर्ज कर मन् पुलिस निरीक्षक प्लाट नं0 55ए, भैरव नगर के लिए रवाना हुआ तथा श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक को भी उक्त पते पर पहुंचने की हिदायत की। श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक ने बताया कि मैं प्लाट नं0 55ए भैरव नगर पहुंच गया हूं एवं घर के अन्दर एक सफेद रंग की स्कूटी खडी हैं। जिस पर मैनें श्री ललित किशोर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक द्वारा दी गई जानकारी से अवगत करवाया तथा मैं हमराही जाब्ता के उक्त प्लाट नं0 55–ए, भैरव नगर पहुंचा। जंहा दरवाजे पर एक अधेड उम्र की महिला खडी थी जिनसे श्री नारायण सिंह के बारे में पूछने पर बताया कि मेरा बेटा है जो अन्दर ही है। इसी दौरान मकान के अन्दर से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया और बोला कि मै ही नारायण सिंह हूं, आपको किससे मिलना हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने आने का मन्तव्य एवं परिचय बताते हुए परिवादी की ओर इशारा कर पूछा कि आप इन्हें जानते हो तो श्री नारायण सिंह ने कहा कि ये श्री सुधांशु सिंह है, जिनसे मिलने के लिए मेयर साहब के घर से गार्ड राजेश ने अपने मोबाईल न0 से फोन कर मुझे कहा कि सुशील भैया घर पर बुला रहे हैं, सुधांशु बैठा हुआ हैं। जिस पर मैं मेयर साहब के घर थोडी देर पहले सुधांशु से मिला था। इसी दौरान श्री बलराम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर चतुर्थ मय जाब्ता उपस्थित आये जिनके हमराही जाब्ता में से महिला कानि0 श्रीमती सुनीता न0 43 एसीबी चौकी जयपुर ग्रामीण के साथ मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाब्ता के मकान में प्रवेश किया तथा कार्यवाही में सहायता एवं पर्यवेक्षण करते हुए मौके पर आरोपी को रिश्वती राशि प्राप्त करने बाबत पूछताछ की तो आरोपी ने उक्त राशि परिवादी से उधार लेने की बात की जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने आरोपी श्री नारायण सिंह की बात का जोरदार खण्डन करते हुए कहा कि नारायण जी झूंठ बोल रहे हैं। मेरे परिचितो के प्लाटों के पट्टे जारी करने से संबंधित तीन फाईले लगा रखी है जो मेयर साहब के घर पर हैं जिनके पट्टे जारी कराने के लिए मैं मेयर पति श्री सुशील जी से मिला था तब उन्हौनें पट्टे जारी करने की एवज में 2,00,000 रूपये लेने की बातचीत कर पट्टो की फाईलों के संबंध में नारायण जी को मिलने के लिए कहा था। जिसपर मैनें नारायण जी से बात की तो नारायण जी ने कहा कि मेरी सुशील भाईसाहब से बात हो चुकी हैं। मैं फाईले देख लूंगा। श्री सुशील जी द्वारा मांगे गये 2,00,000 रूपये लेकर आज मैं जब मेयर साहब के घर गया तो मुझे वहां पर सुशील जी

मिले जिन्हौनें कहा कि नारायण से मिल लो। थोडी देर में नारायण जी मेयर साहब के घर आये जिनसे मैनें पट्टो की फाईलो के बारे बात करते हुए रिश्वती राशि लेकर आने की बात की तो इन्हौनें मुझे डांटते हुए कहा कि "तुम यहां क्यों आये हो सिस्टम को समझा करो वैसे चाहे घर आओ। मैं पांच–पांच दस–दस लाख की डील करता हूं आपको सिस्टम तो समझना चाहिए इसके बाद मैनें सुशील जी द्वारा तयशुदा रिश्वती राशि 2,00,000 रूपये इनको दिये जो इन्हौनें लेकर मेयर साहब के घर के बाहर आकर अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख लिया और मुझे कहा कि तुम्हारी फाईले कल कर देगें और यह कहते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए रवाना हो गये। परिवादी के उपरोक्त कथन पर श्री नारायण सिंह कुछ नहीं बोला एवं चुप हो गया। इसके बाद श्री नारायण सिंह को घर के चौक में लेकर आये तथा ट्रेप बाक्स मंगवाया जाकर उसमें से दो कांच के गिलास निकालकर उनमें पीने का पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पाउडर डालकर मिश्रण तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी ने मिश्रण रंगहीन होना बताया। उक्त मिश्रण के गिलासों में श्री नारायण सिंह के दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगूठा को डुबोकर बारी–बारी से अलग–अलग गिलास में धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी तथा बांये हाथ के धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त मिश्रण को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरकर दाहिने हाथ की शिशियों को मार्क R–1 व R–2 व बांये हाथ के धोवन की शिशियों मार्क L–1 व L–2 अंकित कर चारों शिशियों को चिट चस्पा कर सील्डमोहर पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वती राशि के बारे में श्री नारायण सिंह से पूछा तो कहा कि वो मैनें मेरे दोस्त को दे दिये हैं जो लेकर कही चला गया है। इस पर पुनः तसल्ली देकर पूछा तो कहा कि मुझसे गलती हो गई मैनें तो पहली बार ही किया हैं पैसे मेरे बेडरूम में रखे हैं। इस पर श्री नारायण सिंह व हमराहियान को साथ लेकर मकान में पीछे की तरफ बने बेडरूम में आये जंहा पर श्री नारायण सिंह को रिश्वती राशि के बारे में पूछने पर उसने अपने डबल बैड की सिरहाने की ड्रावर में से हरे रंग की एक प्लास्टिक की थैली निकाल कर बताया कि इसमें पैसे रखे हुए है। इस पर गवाह श्री मुकेश कुमार से उक्त थैली को दिखवाने पर उसमें 500–500 रूपयों के नोटो की 4 गड्डीया मिली, जिनके नम्बरो का मिलान फर्द सुपुर्दगी से करवाने पर नोटो के नम्बरो का मिलान नहीं हुआ इस पर पुनः श्री नारायण सिंह को तसल्ली देकर पूछा तो कहा कि सर मेरे से गलती हो गई जल्दबाजी में दूसरे नोट दे दिये। इस पर रिश्वती राशि के लिए पूछने पर उसने इसी बेड के ड्रावर में रखे एक काले रंग के कागज की थैली निकालकर पेश की, जिस पर AND girl लिखा हुआ है, थैली को गवाहान से चैक करवाने पर गवाहान ने उक्त काले रंग की कागज की थैली में 500–500 रूपये के नोटो की 4 गड्डीया होना बताया, जिस पर उक्त नोटो को गवाहान से गिनवाने पर गवाहान ने 500–500 रूपये के 400 नोट कुल 2,00,000 रूपये होना बताते हुए उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करने पर सभी नोटो के नम्बर हूबहू होना पाया गया। मौके पर उपस्थित परिवादी ने उक्त काले रंग की कागज की थैली को देखकर बताया कि ये वहीं थैली हैं जिसमें रखकर 2,00,000 रूपये मैनें श्री सुशील गुर्जर के कहने पर नारायण सिंह को दिये थे। बरामदशुदा रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 400 नोटो कुल 2,00,000 रूपये एवं कागज की काली थैली एक बंडल में बांधकर शीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद एक अन्य गिलास में पानी डालकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर की एक चम्मच डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो हाजरीन ने गिलास के पानी के घोल को देखकर रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात् स्कूटी की सीट के नीचे की डिग्गी को एक सफेद कपडे की चिन्दी लेकर स्कूटी की डिग्गी में अच्छी तरह रगडकर उक्त चिंदी को गिलास के घोल में डबोकर धोया गया तो गिलास के पानी का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित हाजरीन को दिखाया तो रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर मार्क D–1, D –2 अंकित कर चिट चस्पा कर शील्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं धोवन के काम में ली गई चिंदी को सुखाकर माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्डमोहर कर मार्क "D" दिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। नारायण सिंह ने बताया कि उक्त स्कूटी न. आरजे 19 आरएस 4738 मेरे ससुर स्व. श्री हजारी सिंह द्वारा उनकी इकलौती बेटी मेरी पत्नी श्रीमती आशा सिंह को उपहार स्वरूप दी गई हैं जिसको मेरी पत्नी द्वारा उपयोग में लिया जाता हैं। मेरी पत्नी अभी पीहर गई हुई है। उक्त स्कूटी को श्री नारायण सिंह की माताजी

श्रीमती कमलेश देवी को यथा स्थिति में सम्भलायी गई। इसके बाद अन्य गिलास में पानी डालकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर की एक चम्मच डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो हाजरीन ने गिलास के पानी के घोल को देखकर रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात् बेड के सिरहाने की ड्रावर की उस जगह जहां रिश्वती राशि की थैली रखी हुई थी, उक्त जगह को एक सफेद कपडे की चिन्दी लेकर अच्छी तरह रगडकर उक्त चिंदी को गिलास के घोल में डूबोकर धोया गया तो गिलास के पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसको स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित हाजरीन को दिखाया तो रंग गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर मार्क B–1, B–2 अंकित कर चिट चस्पा कर शील्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं धोवन में काम में ली गई चिंदी को सुखाकर माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्डमोहर कर मार्क "B" दिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री नारायण सिंह को पूर्व में पेश किये गये हरे रंग की थैली के 2,00,000 रूपये के बारे में पूछा तो बताया कि मैनें मेरी सास द्वारा पत्नी को गिफ्ट डीड किया गया प्लाट बेचा था जिसमें से कुछ पैसा सिटी सेन्टर, संसारचन्द्र रोड की दूकान न0 209, सैकण्ड फ्लोर का लोन चुकाने के लिए घर पर रख रखा हैं। गिफ्ट डीड के फोटोकॉपी कागजात मेरे ससुराल ब्यावर में हो सकते हैं। श्री नारायण सिंह से प्लाट कितने दिन पहले बेचने के संबंध में पूछा तो बताया कि करीब 1 साल हो गया। श्री नारायण सिंह का उक्त राशि के संबंध में संतुष्टीपूर्ण जवाब नहीं होने के कारण पुनः तसल्ली देकर पूछा तो कहा कि कुछ लोग मुझसे नगर निगम का पट्टा संबंधी काम करवाने के लिए कहते है और कई बार कुछ लोग कुछ पैसा भी दे जाते हैं। घर में और पैसा रखा होने के संबंध में पूछा तो बताया कि और कोई पैसे नहीं रखे हैं। जिस पर हमराही जाब्ता की मदद से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मकान की तलाशी लेने के लिए कहा तो श्री नारायण सिंह ने कहा कि कुछ और पैसा भी मेरे पास मेरे बेड में ही रखा है, जिसपर श्री नारायण सिंह ने बैड के सिरहाने के ड्रावर में से एक सफेद कपडे की डिस्पोजेबल थैली निकालकर पेश की जिसको स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाया तो 500–500 रूपये के नोटो की 14 गड्डी होना पाया। इस प्रकार पूर्व में पेश किये गये हरे रंग की थैली के 500–500 रूपये के नोटो की 4 गड्डीयों तथा सफेद कपडे की डिस्पोजल थैली की 500–500 रूपये के नोटो की 14 गड्डीयों कुल 18 गड्डीयों के नोटो को स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो 8,95,000 रूपये होना पाया गया। उक्त राशि के संबंध में श्री नारायण सिंह से पूछा गया तो श्री नारायण सिंह ने कहा कि कुछ प्लाट खरीदने व बेचने के लिए यह रकम रखी है। श्री नारायण सिंह का उक्त राशि के संबंध में जवाब संतोषप्रद नहीं होने से उक्त राशि 8,95,000 रूपये संदिग्ध प्रतीत होने पर उसी डिस्पोजेबल कपडे की थैली में रखकर कब्जा एसीबी लिये गये। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा पूर्व में अपने पास सुरक्षित रखे हुये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना तो आरोपी श्री नारायण सिंह, श्री सुशील गुर्जर व परिवादी श्री सुधांशु सिंह की बातचीत व रिश्वत के संबंध में वार्ता होना पाया गया हैं जिसकी फर्द ट्रासक्रिप्ट आईन्दा नियमानुसार तैयार की जावेगी। कार्यवाही के दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना में पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा मामले में संदिग्ध आरोपीगण श्री सुशील गुर्जर मेयर पति नगर निगम हैरिटेज जयपुर एवं श्री अनिल दुबे निजी कर्मचारी/दलाल के घर, कार्यालयों पर परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावलीयों एंव पूर्व में दी गई रिश्वती राशि की बरामदगी हेतु सर्च की कार्यवाही की जा रही हैं जिन्हें संदिग्ध आरोपीगणो को डिटेन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय में पहुचंने के लिए निवेदन किया गया। दौराने कार्यवाही परिवादी से पूछने पर बताया कि मेयर के घर पर पहुचंकर मेरे द्वारा नारायण जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर मेयर साहब के घर पर कार्य करने वाले गार्ड राजेश द्वारा आरोपी श्री नारायण सिंह को फोन कर बुलाया गया है उक्त मोबाईल फोन में आरोपी नारायण सिंह द्वारा आरोपी सुशील गुर्जर, अनिल दूबे, श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर से परिवादी के परिचितो द्वारा आवेदित पट्टो की फाईलों के संबध में मोबाईल वार्ताऐं की गई है जिनके संबंध में विस्तृत अनुसंधान कर तकनीकी साक्ष्य संकलित किये जाने की आवश्यकता होने से आरोपी श्री नारायण सिंह का मोबाईल हैंडसेट सेमसंग कम्पनी का गलैक्सी एम–31, बरंग नीला जिसके आईएमईआई न0 352691180447393 एवं 353094920447394 है, जिसमें एक सिम एयरटेल कम्पनी की नम्बर 8209702558 हैं, जिसे अनुसंधान हेतु खुला रख कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में आरोपी के दोनो हाथों एवम् स्कुटी की डिक्की व बैड के ड्रॉवर की धोवन की शीशीयॉ व रिश्वती राशि को शील्ड मोहर करने मेंएसीबी एस.आई.यू. जयपुर की पीतल की सील का प्रयोग किया गया जिसका नमूना फर्द पर अंकित किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई, फर्द बरामदगी तैयार की जाकर

सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त कार्यवाही से परिवादी श्री सुधांशु सिंह के परिचितो के नगर निगम हैरिटेज जयपुर के क्षेत्राधिकार से संबंधित कॉलोनियों के प्लाटों के पट्टे जारी करवाने के लिए आवेदित फाईलो पर श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम हैरिटेज जयपुर के हस्ताक्षर करवाकर, जारी करवाने की एवज में महापौर के पति श्री सुशील गुर्जर के द्वारा परिवादी श्री सुधांशु सिंह से दिनांक 16.07.2023 को 50,000 रूपये लेने पर सहमत होकर दिनांक 17.07.2023 को अपने विश्सनीय दलाल श्री अनिल दूबे के मार्फत प्राप्त करना, दिनांक 25.07.2023 को अन्य परिचित के पट्टे पर साईन करवाने की एवज में रिश्वती राशि तय कर 1,00,000 रूपये श्री अनिल दूबे के मार्फत प्राप्त करना एवं तत्पश्चात दिनांक 03.08.2023 को परिवादी के परिचितो द्वारा आवेदित तीन अन्य पट्टो की फाईलों के पटटे जारी करने की एवज में मेयर पति सुशील गुर्जर द्वारा 2,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर रिश्वती राशि मांग के अनुसरण में दिनांक 04.08.2023 को अपने निजी कर्मचारी/मध्यस्थ श्री नारायण सिंह के मार्फत 2,00,000 रूपये की रिश्वती राशि प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी श्री सुशील गुर्जर द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम हैरिटेज जयपुर से आपसी मिली भगत कर षड्यंत्र पूर्वक परिवादी के परिचितो द्वारा आवेदित पट्टो की फाईलो पर महापौर के साईन करवाकर पट्टे जारी करने की एवज में परिवादी से रिश्वती राशि तय कर अपने विश्वसनीय निजी कर्मचारी/दलाल श्री अनिल दूबे एंव नारायण सिंह के साथ मिली भगत कर पूर्व में दलाल श्री अनिल दूबे के मार्फत 1,50,000 रूपये एवं श्री नारायण सिंह के मार्फत दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी के पट्टो की फाईलो पर महापौर के हस्ताक्षर करवाने की एवज में 2,00,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये गये जो आरोपी श्री नारायण सिंह द्वारा प्राप्त किये जाकर अपने बेडरूम में रखे डबल बेड के सिरहाने के ड्रावर से बरामद होना पाया गया है। आरोपी श्री नारायण सिंह का उक्त कृत्य अन्तर्गत 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी आईपीसी में प्रथम दृष्ट्या कारित किया जाना पाये जाने पर आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर हस्वकायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द पृथक से तैयार कर संबधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। मौके पर घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई एवं आरोपी श्री नारायण सिंह को अपनी नमूना आवाज वास्ते परीक्षण दिए जाने के लिए कहने पर उसने इन्कार किया जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज तैयार कर शामिल पत्रावली की। समस्त कार्यवाही पूर्ण कर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराह स्टाफ एवम् गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री नारायण सिंह, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवम् जप्तशुद्वा आर्टिकल्स धोवन की शीशीयॉ, जप्तशुद्वा रिश्वती राशि एवम् जप्तशुद्वा अन्य बरामद राशि मय ट्रैप बॉक्स प्रिन्टर के एसीबी कार्यालय जयपुर के लिये सरकारी मिनी बस से रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहूंचे। जब्तशुदा रिश्वती राशि/आर्टिकल्स को सुरक्षित आलमारी में रखवाया गया। श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिटेनशुदा श्री सुशील कुमार गुर्जर, मेयर पति एवं श्री अनिल दूबे दलाल को लेकर मय मौके से कब्जा ली गई नगर निगम हैरिटेज, जयपुर में पट्टा जारी करने से संबंधित तीन पत्रावलियां मन निरीक्षक पुलिस को पेश की। दोनों आरोपीगणों से रिश्वती राशि के संबंध में पूछने पर श्री सुशील कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामप्रसाद गुर्जर उम्र 43 साल निवासी मकान न0 ए–3 आदर्श कॉलोनी, शान्ति नगर जयपुर हाल पति श्रीमति मुनेश गुर्जर, महापौर, नगर निगम हैरिटेज जयपुर ने कि मैनें कोई रिश्वत नही ली है, सुधांशु अपने काम के लिये घर पर आता रहता है इस पर श्री सुशील कुमार गुर्जर को परिवादी से दिनांक 03.08.2023 को हुई रिश्वती मांग वार्ता के सम्बन्ध में पुछा तो कहा कि इसने खुद ने ही पैसे ऑफर किये थे मैने नही मांगे थे इसने कुछ पट्टो की फाईलो पर शीघ्र मेयर के हस्ताक्षर करवाने की कहते हुवे स्वंय की ओर से ही पैसे ऑफर किये थे जिस पर मैने नारायण से मिलने के लिये कहा था। श्री सुशील कुमार गुर्जर, मेयर पति से उनके पास मिली तीन पत्रावलीयों के संबंध में पूछने पर बताया कि यह फाईले सुधांशु सिंह ही मुझे देकर गया था, जो मैंने अपने पास रख रखी थी। यह पूछने पर कि उक्त फाईल आपको कब दी तो कहा कि दो दिन पहले दी थी। उक्त पत्रावलियों के संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना है, इसलिए पत्रावलियों को कब्जा एसीबी लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी प्रकार श्री अनिल दुबे पुत्र स्व0 सुदर्शन दूबे जाति ब्राहाम्ण उम्र 45 साल निवासी एसडी–173, शान्ति नगर, हटवाडा रोड जयपुर हाल निजी कर्मचारी कार्यकर्ता मेयर नगर निगम हैरिटेज जयपुर को परिवादी श्री सुधांशु सिंह के परिचितों के आवेदित पट्टो की फाईलों पर मेयर श्रीमति मुनेश गुर्जर से हस्ताक्षर करवाने की एवज में परिवादी श्री सुधांशु सिंह से रिश्वती मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ताओं के बारे में बताया जाकर रिश्वती मांग के अनुसरण में परिवादी से पूर्व मे 1.50 लाख रुपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में पुछा तो कहा कि मैं मेयर साहब के घर पर उनके कार्यकर्ता के रुप में काम करता हुं।

वहा पर कई ऐजेन्ट एवम् आवेदक अपने पट्टो की फाईलो पर मेयर साहब के हस्ताक्षर करवाने के लिये आकर मिलते है तथा जल्दी हस्ताक्षर करवाकर फाईल भिजवाने की एवज में खर्चा पानी ऑफर करते है सुधांशु सिंह की भी 2–3 पट्टो की फाईल आई हुई थी जिस पर भी मेयर साहब के हस्ताक्षर होने थे उसके द्वारा पैसो का ऑफर देने पर मैनें श्री सुशील कुमार गुर्जर भाईसाहब से पुछा था तथा उनके कहे अनुसार सुधांशु सिंह ने एक बार 50,000 हजार रुपये व दुसरी बार 1,00,000 लाख रुपये मुझे दिये जिसकी निश्चित तारीख मुझे आज याद नही है आज से करीब 5–6 दिन पहले दिये थे। मैने पैसे मेरे पास पहुँचने पर सुशील भाईसाहब को फोन करवा दिया था जिस पर मेयर साहब से हस्ताक्षर करवा दिये थे। इसके बाद परिवादी श्री सुधांशु सिंह कार्यालय मे उपस्थित हुआ जिस पर दोनो गवाहान के समक्ष आरोपीगण श्री सुशील कुमार गुर्जर मेयर पति, श्री नारायण सिंह, श्री अनिल कुमार दुबे एवम् परिवादी श्री सुधांशु सिंह को एक साथ बिठाकर चारों का आमना सामना कराया गया। दौराने आमना सामना आरोपी श्री सुशील कुमार गुर्जर से दिनांक 04.08.2023 को अपने कर्मचारी/दलाल श्री नारायण सिंह के मार्फत 2,00,000 रूपये प्राप्त करने एवं पूर्व में अपने कर्मचारी/दलाल अनिल दूबे को 1,50,000 रूपये रिश्वती राशि दिलवाने बाबत पूछा गया तो उसने बताया कि सुधांशु सिंह से मैनें कोई पैसे प्राप्त नहीं किये है ना ही किसी को दिलवाये हैं जिस पर परिवादी श्री सुधांशु सिंह ने आरोपी की बात को काटते हुए बताया कि आपके कहने पर ही मैनें उक्त रिश्वती राशि अनिल व नारायण को दी हैं जिस पर आरोपी श्री सुशील गुर्जर से पुनः इस बारे में पूछा गया तो वह कुछ नहीं बोला चुप रहा तत्पश्चात तसल्ली देकर पुनः पूछने पर उसने बताया कि सुधांशु स्वंय ही मेरे पास आया था, इसी ने पैसे सामने से ऑफर किये थे। मैनें डिमांड नहीं की थी। सुधांशु सिंह द्वारा अपने परिचितो के पट्टो की फाईलो पर मेयर के साईन करवाने की एवज में सुधांशु सिंह द्वारा स्वयं ने रूपयों का ऑफर करने पर मैनें सहमति दी थी एवं रिश्वती राशि अपने निजी कर्मचारी एवं दलाल श्री नारायण सिंह व अनिल दूबे के मार्फत प्राप्त की थी। तत्पश्चात आरोपी श्री नारायण सिंह से 2,00,000 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने बाबत पूछा गया तो बताया कि सुधांशु सिंह मुझसे पहले सुशील भैया से मिल लिये थे जिनके ईशारे पर ही मैनें उक्त दो लाख रूपये सुशील भैया के लिए प्राप्त किये थे तथा इसी प्रकार श्री अनिल कुमार दूबे से परिवादी से प्राप्त 1,50,000 रूपये रिश्वती राशि के संबंध में पूछा गया तो बताया कि मैंने किसी से कोई पैसे प्राप्त नहीं किये इस पर परिवादी ने आरोपी की बीच में बात काटते हुए कहा कि मैंने दिनांक 17.07.2023 को सुशील जी के कहने पर 50,000 रूपये अनिल को दिये थे तथा दिनांक 25.07.2023 को 1,00,000 रूपये भी सुशील जी के कहने पर अनिल को दिये थे एवं पैसे देने के बाद ही मेरे परिचित का काम किया गया था। जिस पर आरोपी अनिल कुछ नहीं बोला एवं चुप रहा। जिससे पुनः पूछा तो उसने कहा कि मैनें सुशील भैया के कहने पर ही पैसे लिये थे एवं सुधांशु सिंह स्वयं अपनी इच्छा से देकर गया था मैनें कोई डिमांड नहीं की थी। आरोपीगण तथा परिवादी द्वारा अब तक उपलब्ध कराये गये तथ्यों तीनों आरोपीगण द्वारा परिवादी से अनुचित लाभ के तौर पर रिश्वत राशि प्राप्त करने के दुराशय से अवैध तरीके से आपस में मिलीभगत कर बतौर अनुचित लाभ रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया। इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री अनिल कुमार दूबे को परिवादी श्री सुधांशु सिंह के परिचितों के पट्टो की फाईल पर श्री सुशील कुमार गुर्जर के मार्फत मेयर नगर निगम हेरिटेज श्रीमति मुनेश गुर्जर के हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी करवाने की एवज में श्री सुशील कुमार गुर्जर के लिए दिनांक 17.07.2023 को 50,000 रूपये व दिनांक 25.07.2023 को 1,00,000 रूपये की रिश्वती राशि प्राप्त की गई है एवं इसी प्रकार आरोपी श्री सुशील कुमार गुर्जर द्वारा परिवादी श्री सुधांशु सिंह के परिचितों के पट्टो की फाईल पर मेयर नगर निगम हेरिटेज श्रीमति मुनेश गुर्जर के हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी करवाने की एवज में मध्यस्थ/दलाल श्री नारायण सिंह के मार्फत परिवादी से रिश्वती राशि 2,00,000 लाख रुपये की मांग के अनुसरण में दिनांक 04.08.2023 को श्री नारायण सिंह के मार्फत रिश्वती राशि के 2,00,000 रूपये प्राप्त किये गये। रिश्वती राशि आरोपी नारायण सिंह के कब्जे से बरामद की गई। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120बी भादसं. में कारित करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगणों को उसके जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। दोनों की फर्द गिरफ्तारी पृथक–पृथक तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपीगणों को उनकी नमूना आवाज वास्ते परीक्षण उपलब्ध करवाने हेतु कहने पर दोनों ने इन्कार किया जिसकी फर्द नमूना आवाज प्राप्ति पृथक–पृथक तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 05.08.2023 को परिवादी श्री सुधांशु सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आने पर परिवादी श्री सुधांशु सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान विभिन्न तारीखों को आरोपीगण श्री सुशील कुमार गुर्जर, मेयर पति, श्री अनिल दुबे, दलाल एवं श्री नारायण सिंह दलाल के मध्य हुई कुल 12 वार्ताएं जो विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एवम् पैन ड्राईवनुमा रिकॉर्डिंग मे लगें मेमोरी कार्ड में सुरक्षित

है। उक्त डीवीआर एवम् पैनड्राईवनुमा रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में बारी–बारी से लगाकर सभी 12 वार्ताओं को डाउनलोन किया गया एवं कम्प्यूटर की सहायता से बारी–बारी से उक्त वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर के जरिये पृथक–पृथक 06 डी.वी.डी. डाउनलोड कर मूल तीनों मेमोरी कार्ड को जब्त किया एवम् सभी 06 डी.वी.डी. मे से 05 डी.वी.डी. को कपडे की थैली मे सीलकर शील्डमोहर कर मार्क अंकित किया गया एवम् एक डी.वी.डी. को आईओ के लिये लिफाफे मे रखा गया। इसी तरह उक्त कार्यवाही उपयोग मे लिये गये तीनों मेमोरी कार्ड जिनमें उक्त मूल रिकॉर्डेड वार्तायें सुरक्षित है, को एक माचिस की डिब्बी मे रखकर एक कपडे की थैली में रखकर सील्डमोहर किया जाकर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं डाउनलोड डी.वी.डी. एवं जब्ती मेमोरी कार्ड तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर जाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही में परिवादी द्वारा आरोपीगणों से रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन के संबंध में हुई वार्ताओं की तैयार सील्डशुदा डी.वी.डी. पैकेट एवम् शील्डशुदा मेमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी में रखवाया गया। ट्रैप कार्यवाही के दौरान तीनों आरोपीगणों द्वारा उपयोग मे लिये जा रहे मोबाईल फोन को प्राप्त कर अनुसंधान हेतु कब्जा एसीबी लिया गया।

श्री मुलचंद मीणा, पुलिस निरीक्षक, जयपुर नगर चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने जरिये पत्र क्रमांक 993 दिनांक 05.08.2023 के साथ श्रीमति मुनेश गुर्जर महापौर एवम् उसके पति के निवास स्थान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मय जप्तशुदा दस्तावेज, फर्द जप्ती पत्रावलियॉ कुल 06 एवम् फर्द जप्ती मोबाईल फोन व लेपटॉप प्रस्तुत की, पत्र के साथ सलग्न फर्द जप्ती के अनुसार श्रीमति मुनेश गुर्जर महापौर के निवास स्थान मकान न0 ए–03 आदर्श नगर, शान्ति कॉलोनी, हटवाडा रोड, जयपुर मे परिवादी श्री सुधांशु सिंह के परिचितों द्वारा आवेदित पट्‌टो की पत्रावलियॉ सहित कुल 06 फाईलें मिली जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त पत्रावलियों मे से एक पत्रावली जिस पर जोन, बनीपार्क विस्तार धौकलसिंह व भॅवरलाल लिखा होकर उक्त पत्रावली में परिवादी के परिचित श्री दिलीप सिंह राठौर पुत्र धौकल सिंह निवासी सी–94 बी, शास्त्री नगर द्वारा उक्त प्लॉट के पक्का पट्‌टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र मय नोटशीट लगी हुई है। जिसकी नोटशीट के अवलोकन से पाया गया कि उक्त पत्रावली में दिनांक 31.07.2023 को (विभागीय आदेशों की पालना में पुर्ति की जाकर माननीय महापौर महोदया को पट्‌टा विलेख हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।) अंकित किया जाकर डी0सी0 (उपायुक्त) को मार्क की हुई है जिस पर उसी तिथि में उपायुक्त द्वारा " कृपया एन/120 का अवलोकन फरमावें तद्नुसार एन123 से एन126 रिपोर्ट की गई है। बाद अवलोकन लील डीड हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है" टिप्पणी उल्लेखित कर उपायुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर कर पत्रावली महापौर को अग्रेषित की हुई है। जिस पर मेयर द्वारा हस्ताक्षर किये जाना शेष है। पत्रावलियॉ मे सलग्न पट्‌टा विलेख 03 प्रतियों में रखा जाकर पत्रावली मे सलग्न है। उक्त पत्रावली परिवादी द्वारा ब्यूरो मे प्रस्तुत रिपोर्ट एवम् मजीद पुछताछ के दौरान बताई गये अपने परिचित दिलीप सिंह राठौड से सम्बन्धित है जिसका पट्‌टा जारी करने हेतु फाईल पर मेयर श्रीमति मुनेश गुर्जर के हस्ताक्षर करवाने के एवज में उनके पति सुशील गुर्जर के द्वारा रिश्वती राशि 2.00लाख रूपये की मांग की जाकर मांग के अनुशरण में अपने दलाल श्री नारायण सिंह को दिलवाए गए है जो रिश्वती राशि दौराने ट्रैप कार्यवाही बरामद की गई है। उक्त पत्रावली के अतिरिक्त अन्य पत्रावलियों को देखे जाने पर उक्त पत्रावलियों मे भी सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा मेयर को हस्ताराथ प्रेषित की गई है लेकिन मेयर पति श्री सुशील कुमार गुर्जर द्वारा अपने दलालों के मार्फत रिश्वत राशि प्राप्त करने के दुराश्य से पत्रावलियों पर महापौर के हस्ताक्षर नही किये गये है, आरोपी श्री सुशील कुमार गुर्जर द्वारा अपने दलालो के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद ही महापौर के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावलीयॉ भिजवाया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से परिवादी श्री सुधांशु सिंह की रिपोर्ट पर अब तक की कार्यवाही में गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी के परिचितों द्वारा उनके प्लाटों के आवेदित पट्‌टों की फाईलों पर साईन कराने के एवज में परिवादी से रिश्वती राशि की मांग की जाकर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व दो बार में 1.50 लाख रूपये आरोपी श्री अनिल दुबे, दलाल के मार्फत श्री सुशील कुमार गुर्जर, मेयर पति द्वारा प्राप्त किये जाकर अपनी पत्नी श्रीमती मुनेश गुर्जर, महापौर, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर से साईन करवाए जाने एवं परिवादी के शेष तीन पट्‌टों की फाईलों पर साईन करवान के एवज में परिवादी से 2.00 लाख रूपये की मांग कर आरोपी श्री नारायण सिंह, दलाल के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रमाणित पाया गया है। आरोपीगणों के उक्त कृत्य में श्रीमती मुनेश गुर्जर, महापौर, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर की भूमिका के संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवश्यक है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में परिवादी श्री सुधांशु सिंह द्वारा दिनांक 13.07.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर की गई दरियाफ्त, दिनांक 13.07.23 से 03.08.2023 के मध्य आरोपीगणों से रिश्वती राशि मांग एवं लेन देन के संबंध में हुई वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट, परिवादी द्वारा पेश की गई अपने मौबाइल में मौजूद वाट्सअप चैटिंग के स्क्रीनशॉट, पूर्व मे दिए गए रिश्वत राशि के

नोटों के प्रिन्ट से पाया गया कि आरोपी श्री सुशील कुमार गुर्जर, मेयर पति द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती मुनेश गुर्जर, महापौर, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर के पास नगर निगम हैरिटेज, जयपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले परिवादी के परिचितों के मकानों के पट्टों की फाईलों पर अपनी पत्नी श्री मुनेश गुर्जर, महापौर के साईन करवाने की एवज में अपने विश्वसनीय निजी कर्मचारी/दलाल आरोपीगण श्री अनिल दुबे व श्री नारायण सिंह के साथ आपसी षड़यंत्र रचकर परिवादी के परिचितों द्वारा आवेदित पट्टों की फाईलों में परिवादी से रिश्वती राशि लेना तय कर दिनांक 17.07.2023 को 50,000/-रूपये एवं दिनांक 25.07.2023 को 1.00 लाख रूपये की रिश्वती राशि श्री अनिल कुमार दुबे दलाल के मार्फत प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी के अन्य तीन पट्टो की फाईलों के लिए दिनांक 03.08.2023 को वार्ता कर आरोपी श्री सुशील कुमार गुर्जर, मेयरपति ने परिवादी से 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 04.08.2023 को अपने दलाल श्री नारायण सिंह के मार्फत प्राप्त की गई, जो दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी श्री नारायण सिंह, दलाल द्वारा मेयर के निवास में प्राप्त कर अपनी स्कूटी की डिक्की में रखकर अपने निवास स्थान मकान नम्बर 55-ए, भैरव नगर, झोटवाड़ा रोड, जयपुर जाकर अपने बैडरूम की ड्रॉवर में रख दिये, जहां से बरामद होना पाया गया। आरोपीगण 1- श्री सुशील कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामप्रसाद गुर्जर उम्र 43 साल निवासी मकान न0 ए-3 आदर्श कॉलोनी, शान्ति नगर जयपुर हाल पति श्रीमति मुनेश गुर्जर, महापौर, नगर निगम हैरिटेज जयपुर, 2- श्री अनिल कुमार दूबे पुत्र स्व. सुदर्शन दूबे जाति- ब्राह्मण, उम्र- 45 साल, निवासी- एसडी-173, शान्ति नगर, हटवाडा रोड जयपुर हाल- निजी कर्मचारी कार्यकर्ता मेयर नगर निगम हैरिटेज जयपुर। 3- श्री नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री भवंर सिंह उम्र- 37 साल, जाति- राजपूत निवासी- म0न0 55ए, भैरवनगर हटवाडा रोड जयपुर हाल- वार्ड कार्यकर्ता मेयर श्रीमती मुनेश गुर्जर नगर निगम हैरिटेज जयपुर, एवं अन्य का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120बी भा0द0सं0 में प्रथम दृष्टया कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाने से उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(सज्जन कुमार)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान इकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1-श्री सुशील कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामप्रसाद गुर्जर, निवासी मकान नम्बर ए-3, आदर्श कॉलोनी, शान्ति नगर, जयपुर हाल पति श्रीमती मुनेश गुर्जर, महापौर, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर, 2-श्री अनिल कुमार दुबे पुत्र स्व.श्री सुदर्शन दुबे, निवासी-एसडी-173, शान्ति नगर, हटवाडा रोड जयपुर हाल- निजी कर्मचारी कार्यकर्ता मेयर नगर निगम हैरिटेज जयपुर, 3-श्री नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री भवंर सिंह, निवासी-मकान नम्बर 55ए, भैरवनगर हटवाडा रोड जयपुर हाल- वार्ड कार्यकर्ता मेयर श्रीमती मुनेश गुर्जर नगर निगम हैरिटेज जयपुर, एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 213/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.8.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:-2514-17 दिनांक 06.08.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. आयुक्त, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

6.8.23

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।